

• सेवा में,
खण्ड विकास अधि
विकास खण्ड.....
जनपद.....

महोदय,
मै.....

(सामान्य/अनुसूचित जाति)

खण्ड.....

निःशुल्क बोरिंग योजना

सिंचाई सुविधा का लाभ

1 - मेरे पास उत्तर

ग्राम पंचायत विकास अ

कृषक का कथन
योजना द्वारा लघु सिंचा
प्रार्थना पत्र को स्वीकृत
.....की

नाम कर्मचारी.....

अवर अभियन्ता (ल.सि.)

मैंने कृषक द्वारा
योजना के अन्तर्गत नि
की जाती है।

प्रार्थना पत्र निम्न कारण

नि
(रु)

सेवा में,

सहायक आ
जनपद.....

महोदय,

अनुरोध है

निवासी ग्राम.....

....उत्तर प्रदेश, लघु नि

कराकर शासन द्वारा

स्थापित कर अथवा कि

1. मैं बोरिंग कार्य व

2. मैं बोरिंग स्थल

अवर अभियन्ता (ल० सि०)

६

कृषक का प्रार्थन
द्वारा दिनांक
जाति/जनजाति/सामान्य
स्थल का निरीक्षण क
मापदण्डों के अनुसार
रु० का व्यय आने व
जायेगा व मु०.....
अतः बोरिंग करने की

स्वीकृत

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई.....